बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, 2215089, वेबसाईट : **www.bsea.bih.nic.in**

पत्रांक : नि० प्रा०/विधि 01-04/2017 509 /पटना, दिनांक 20/06/2017

प्रेषक,

फूल सिंह,
मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०)
सभी उप विकास आयुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी (म०स०स०)
सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी-सह-उप जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०)
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०)

विषय: **प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति निर्वाचन, 2017 के मतदाताओं की पहचान स्थापित करने हेतु दस्तावेजों का निर्धारण।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मत्स्यजीवी सहयोग समिति निर्वाचन 2017 में मतदाताओं द्वारा अपनी पहचान स्थापित करने हेतु उनके द्वारा प्राथमिक दस्तावेज के रूप में भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के अतिरिक्त निम्नांकित 16 (सोलह) दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते है :-

(i) पासपोर्ट

(ii) ड्राइविंग लाईसेंस

(iii) आयकर पैन कार्ड

(iv) आधार कार्ड

(v) राज्य/ केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या सीमित सार्वजनिक कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र

(vi) स्वीकृत शैक्षणिक संस्थानों द्वारा निर्गत फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र/ लाइब्रेरी कार्ड

(vii) बैंक अथवा डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक और किसान पासबुक

(viii) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग अनुसूची-1/ पिछड़ा वर्ग अनुसूची-2 से संबंधित फोटोयुक्त जाति प्रमाण पत्र

(ix) फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस

(x) फोटोयुक्त सम्पति संबंधी दस्तावेज, यथा पट्टा, निबंधित डीड

(xi) फोटोयुक्त मूल पेंशन दस्तावेज यथा, पेंशन भुगतान दस्तावेज/ भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक/ भूतपूर्व सैनिक विधवा प्रमाण पत्र/ आश्रित प्रमाण पत्र/ वृद्धावस्था पेंशन कार्ड/विधवा पेंशन कार्ड

(xii) फोटोयुक्त रेलवे पास

(xiii) फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अपंगता प्रमाण पत्र

(xiv) फोटोयुक्त स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र

(xv) फोटोयुक्त एनआरईजीए (मनरेगा) पारिवारिक नौकरी प्रमाण-पत्र (कार्ड)

(xvi) फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड

2. उपर्युक्त दस्तावेजों की मान्यता तभी हो पाएगी जब वे मूल रूप में प्रस्तुत किए जाएं। पहचान हेतु दस्तावेज की फोटो कॉपी प्रस्तुत करने पर उसे पीठासीन पदाधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

3. पीठासीन पदाधिकारी द्वारा निर्वाचक पहचान पत्र में निर्वाचक के नाम, माता/ पिता/ पति का नाम, लिंग, आयु या पता से संबंधित प्रविष्टियों में सूक्ष्म अथवा साधारण विसंगतियों को नजरअंदाज कर निर्वाचकों को मत देने की अनुमति दी जायेगी जबतक कि उस पहचान पत्र से निर्वाचक की पहचान स्थापित होती है।

4. जिला सहकारिता पदाधिकारी अपने जिलान्तर्गत संबंधित मत्स्यजीवी सहयोग समिति के अध्यक्ष/ मंत्री को प्राधिकार के उक्त निदेश से तुरंत अवगत करा देंगे। अध्यक्ष/ मंत्री की जिम्मेवारी होगी कि वे अपनी समिति के प्रत्येक सदस्य को यह जानकारी उपलब्ध करा दें कि उक्त पहचान पत्रों में से किसी एक को उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किये जाने पर उन्हें मताधिकार के प्रयोग से वंचित होना पड़ सकता है।

5. जिला पदाधिकारी-सह-जिला नर्वाचन पदाधिकारी (स0स0) कृपया उक्त निर्णय से अपने स्तर से संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-निर्वाचन पदाधिकारी को ससमय अवगत कराने का कष्ट करेगें।

विश्वासभाजन,

20.6.17

(फूल सिंह)

मुख्य चुनाव पदाधिकारी